# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 20/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)**

1. कालिया पिता श्री धनीया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती तेजकी पत्नी श्री कालिया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

**बनाम**

1. नाथिया पिता श्री मोटिया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नाथिया पिता श्री धनिया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. थावरा पिता श्री मंगलिया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. उंकारिया पिता श्री धनजी, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती अणदु पत्नी नाथिया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. कानिया पिता श्री धनिया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्रीमती शारदा पत्नी कानिया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, घाटोल दिनांक
09.04.2014, प्रकरण संख्या 1/09

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रे.सं. 1 से 5, 7

———:::———

**निर्णय** **दिनांक 16–08–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5, 7 द्वारा धारा 183 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खाता संख्या 258 नया व 213 पुराना के कुल खेत 11 रकबा 2.73 हैक्टर ग्राम जगुपरा में स्थित है, जिस पर वादी काबिज होकर फसल ले रहा है व राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज होकर वादी लगान अदा कर रहा है। उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी अनाधिकृत प्रवेश कर वादी के पश्चिमी–दक्षिणी 10 बाई 12 हाथ के टापरे के नजदीक उक्त सर्वे नंबर में जोर जबरदस्ती प्रतिवादी संख्या 2 थावरा ने आराजी नंबर 3802 के पूर्व–दक्षिण दिशा में 10 बाई 12 हाथ का केलुपोश टापरा बना लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 उंकारिया ने उक्त आराजी के पूर्व–उत्तर में 16 बाई 7 फीट का केलुपोश टापरा बना दिया है व प्रतिवादी संख्या 4 कालिया ने उत्तर–पश्चिम में आधा बीघा भूमि पर अतिक्रमण का 16 बाई 7 फीट का केलुपोश टापरा बना दिया है। वादी के मना करने के बावजूद जबरदस्ती निर्माण कर दिया है, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित कर उक्त खेत का रिक्त कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा बनाये गये टापरों को ध्वस्त किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया बताया कि मकान 20 वर्ष से बने हुए हैं, जिसमें वे निवास कर रहे हैं। टापरे वादी की भूमि पर नहीं बने हैं तथा वादी टापरों के सम्बन्ध में वादी ने किसी न्यायालय अथवा थाने में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कभी कोई कार्यवाही नहीं की है। वादी ने झूठा वाद प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 5 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 09–04–2014 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–08–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट गरीब काश्तकार होकर 26–27 वर्षो से उसके मकान बने हुए हैं। अपीलान्ट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 13—06—2016 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 व 7 की ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने केवल प्रदर्श 1 के आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को खातेदार कृषक मानने में भूल की है। केवल मात्र वादी के खातेदार कृषक होने के आधार पर अपीलान्ट का वादी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अपीलान्टगण के मकान 26—27 वर्षो से अपने खाते की भूमि पर बने होकर निवास कर रहे हैं। दिनांक 21—08—2008 को कोई निर्माण अपीलान्टगण द्वारा नहीं किया गया है, न ही वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की भूमि में कोई निर्माण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को अतिक्रमणी मानकर त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 अनुसार प्रश्नगत आराजियात वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नाथिया पिता मोटिया भील के खातेदारी में दर्ज है। वादी का कथन है कि उनकी खातेदारी की आराजियात पर प्रतिवादीगण द्वारा केलुपोश के तीन टापरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस बाबत प्रतिवादीगण ने अपने टापरे 20 वर्ष पुराना होने का कथन किया है, किन्तु उनके टापरे किस आराजी पर बने यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

उनके द्वारा नहीं बताया गया है, न ही इस बाबत् उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विवेचन में उपरोक्त तथ्यों का विवेचन करते हुए वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी/अपीलान्टगण के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–04–2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(अनीता मीना)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

**कालिया पिता धनिया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य** बनाम **नाथिया पिता मोटिया, जाति भील, निवासी भोरीमाता जगपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**20 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**घाटोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**09**.....माह.....**04**.....**2014**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**16**....माह.....**08**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री यशपाल गुप्ता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–04–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**16**.....माह.....**08**.....**2022** को जारी किया गया।

**(अनीता मीना)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील..... | | |
| मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested